पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

नवीन यादव एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2013 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) संख्या 220

10 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 323, 325, 307 और 504 के अंतर्गत अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि रद्द की जा सकती है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता---धारा 307----घटक----आईपीसी की धारा 143, 323, 325, 307 और 504 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील---अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सूचना देने वाले और 3 अन्य व्यक्तियों पर जान से मारने की नीयत से हमला किया।

निर्णय:- क्या हत्या करने का इरादा था या मृत्यु होने का ज्ञान था, यह तथ्य का प्रश्न है और यह दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा---वर्तमान मामले में, कथित अपराध में किसी भी अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है और पीड़ितों को पहुंची सभी चोटें किसी कठोर और कुंद पदार्थ से पहुंची हैं--- अभियुक्त की मंशा का पता परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए, जैसे कि इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, घटना के समय अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द, अभियुक्त का उद्देश्य, शरीर के वे हिस्से जहां चोट

पहुंची और चोट की प्रकृति और दिए गए वार की गंभीरता, आदि----वर्तमान मामले में चोटें किसी कठोर और कुंद पदार्थ से पहुंची हैं और चोटों का बड़ा हिस्सा सामान्य प्रकृति का था--- कोई भी चोट शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर नहीं थी---अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध साबित नहीं हुआ---आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप से बरी किया जाता है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 323, 325 और 504 के तहत आरोपों को बरकरार रखा जाता है और पुष्टि की जाती है। (पैरा 18, 20-22)

न्याय दृष्टान्त

एम.पी. राज्य बनाम सलीम; (2005) 5 एससीसी 554

जगे राम बनाम हरियाणा राज्य; (2015) 11 एससीसी 366

यू.पी. राज्य बनाम त्रिभुवन; (2018) 1 एससीसी 90

....पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973---धारा 374(2), 428---भारतीय दंड संहिता---धारा 143, 323, 325, 307, 504

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील---हत्या का प्रयास----हत्या का इरादा----चोट की प्रकृति---हथियार का प्रकार----अभियुक्त का मकसद।

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र परीक्षण संख्या 415/2010 में दिनांक 12.03.2013 को दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिनांक 14.03.2013 को सजा का आदेश पारित किया गया। बरारी थाना कांड संख्या 48/2008 के संबंध में।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री शिवेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री आनंद मोहन मेहता, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2013 का आपराधिक अपील (एकल पीठ) सं०- 220

थाना कांड संख्या.- 48 वर्ष- 2008 थाना- बारारी जिला-कटिहार

==========

1. नवीन यादव @ नवीन कुमार यादव एवं अन्य, पिता- स्वर्गीय सीताबी यादव निवासी- आदर्श नगर, दरबे पुरबी बारी नगर, थाना- बरारी, जिला-कटिहार।
2. राकेश यादव @ राकेश कुमार यादव पिता- अनिरुद्ध प्रसाद यादव निवासी आदर्श नगर, दरबे पुरबी बारी नगर, थाना- बरारी, जिला-कटिहार।
3. लेडन यादव @ लधन यादव पिता- भाबीलाल यादव निवासी आदर्श नगर, दरबे पुरबी बारी नगर, थाना- बरारी, जिला कटिहार।

... ...अपीलार्थी/गण

बनाम

बिहार राज्य

... ...प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी/गण के लिए श्री शिवेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता

प्रतिवादी/गण के लिए श्री आनंद मोहन मेहता, एपीपी

==========

पीठासीन: माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

दिनांक: 10-04-2025

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवेंद्र प्रसाद और राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री आनंद मोहन मेहता को सुना।

2. वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) (इसके बाद 'दं० प्र० सं०' के रूप में संदर्भित) के तहत दायर की गई है, जिसमें सत्र विचारण संख्या 415/ 2010 में पारित दिनांक 12.03.2013 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 14.03.2013 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जो दिनांक 30.04.2008 के बरारी थाना कांड संख्या 48 / 2008 से संबन्धित है जिसके अंतर्गत तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश -चतुर्थ, कटिहार, द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 323, 325, 307 और 504 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और आई. पी. सी. की धारा 143 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक को 500/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, 2 महीने के लिए कारावास, और आई. पी. सी. की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 9 महीने के लिए कारावास साथ ही प्रत्येक को 500/- रुपये का जुर्माना

देने की सजा सुनाई गई, और जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर 2 महीने के लिए अतिरिक्त कारावास, और आई. पी. सी. की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 5 साल के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को 3000/- रुपये का जुर्माना देने की सजा, और जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर 6 महीने के लिए अतिरिक्त कारावास और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 7 साल के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को 5, 000/- रुपये के जुर्माने की सजा, और जुर्माने का भुगतान में चूक करने पर 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त कारावास और आई. पी. सी. की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 1 वर्ष के लिए कारावास और प्रत्येक को 500/- रुपये के जुर्माने की सजा, और जुर्माने का भुगतान में चूक करने पर 3 महीने के अतिरिक्त कारावास से गुजरना होगा। हालाँकि सभी सजा को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

3. संक्षिप्त तथ्य, जिनके आधार पर वर्तमान अपील दायर की गई है, इस प्रकार हैं कि सूचक मो० फारूक आलम, जो कि घायल हैं, ने बरारी थाना के प्रभारी पदाधिकारी को अपने लिखित बयान में बताया कि दिनांक 29.10.2008 की रात लगभग 11:00 बजे जब वह जोनिया दियारा स्थित अपने परवल के खेत में सिंचाई कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि अभियुक्तगण वहाँ आए और सूचक के साथ मारपीट करने लगे तथा पूछने लगे कि उन्हें यह करने के लिए किसने कहा था। यह आरोप लगाया गया कि सूचक ने उत्तर दिया कि वह एक गरीब मजदूर है और दियारा नहीं छोड़ेगा। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों ने सूचक की हत्या के उद्देश्य से उस पर हमला किया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि

अभियुक्तों ने मो० तनवीर आलम, मो० कासिम एवं मो० तौहीद पर भी हमला किया।

4. इसके अतिरिक्त, लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 30.04.2008 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 323, 325, 307 एवं 504 के अंतर्गत बरारी थाना कांड संख्या 48/2008 दर्ज़ किया गया एवं अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा इन अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया और तदनुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटिहार द्वारा इन अपीलकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लिया गया। एवं सुपुर्दगी के बाद, मामले का विचारण शुरू किया गया, जो उपरोक्त दोषसिद्धि और दण्डादेश पर समाप्त हुआ। अपीलकर्ताओं ने अभियोजन के साक्ष्य का खंडन करते हुए झूठे आरोप में फंसाए जाने का बचाव किया और अपने आप को निर्दोष घोषित किया।

5. अभियोजन पक्ष के द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल सात गवाहों, जिनके नाम- अभियोजन साक्षी -1 डॉ. ओम प्रकाश सिंह, अभियोजन साक्षी -2 तनवीर आलम, अभियोजन साक्षी -3 अब्दुल कासिम, अभियोजन साक्षी -4 फारूक आलम (सूचक), अभियोजन साक्षी -5 अधीन यादव, अभियोजन साक्षी-6 मो० शमसुद्दीन, एवं अभियोजन साक्षी -7 मो० सबाना, का परीक्षण कराया गया।

6. अभियोजन साक्षी -1 डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया कि दिनांक 03.04.2008 को वह रेफरल अस्पताल, बरारी में चिकित्सक के पद पर पदस्थापित थे। उन्होंने मो० फारूक उम्र 30 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

i. बाईं बाँह पर चोट — वहाँ पर कई चोटें थीं और प्रभावित हिस्से में सूजन थी। एक्स-रे से यह स्पष्ट हुआ कि बाईं बाँह की हड्डियाँ टूटी हुई थीं। सूजन का आकार 8 सेमी x 2½ सेमी x 0 सेमी था।

ii. दाहिने बाजू और बाँह पर कई चोटें — जिनका आकार लगभग 7 सेमी x 2½ सेमी x 0 सेमी था।

iii. बाएँ निचले अंग पर कई चोटें — जिनका आकार लगभग 8½ सेमी x 2½ सेमी x 0 सेमी था।

iv. पीठ पर 10 अलग-अलग जगहों पर चोटें — प्रत्येक चोट का आकार 10 सेमी x 3 सेमी x 0 सेमी था।

मत: सभी चोटें किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से लगी थीं।

चोटों की आयु: सभी चोटें 12 घंटे के भीतर की थीं।

चोट का प्रकार: चोट संख्या 1 से 4 तक गंभीर प्रकृति की थीं, शेष चोटें साधारण प्रकृति की थीं।

6.i उसी दिन डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने मो० तनवीर आलम उम्र लगभग 28 वर्ष का भी चिकित्सीय परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

i. दाहिनी बाँह पर चोट — प्रभावित भाग में सूजन थी, जिसका आकार 5 सेमी x 2 सेमी x 0 सेमी था।

ii. उस भाग के एक्स-रे में किसी प्रकार की हड्डी की चोट नहीं पाई गई।

मत: चोट किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से लगी थी

चोट की आयु: चोट 12 घंटे के भीतर की थी।

चोट का प्रकार: चोट साधारण प्रकृति की थी।

6.ii उसी दिन डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने मो० अब्दुल काशिम उम्र लगभग 60 वर्ष का भी चिकित्सीय परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

i. दाहिनी बाँह पर चोट — जिसमें 8 सेमी x 4 सेमी x 0 सेमी की सूजन पाई गई।

ii. प्रभावित भाग के एक्स-रे में दाहिने रेडियस और अल्ना की एकाधिक फ्रैक्चर दर्शाई गई।

iii. बाएँ हाथ की कोहनी पर भी चोट पाई गई।

iv. उस भाग के एक्स-रे में नीचे के सिरे पर फ्रैक्चर तथा रक्तस्राव देखा गया।

मत: ये सभी चोटें किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से लगी थीं।

चोटों की आयु: 12 घंटे के भीतर की थीं।

चोटों का प्रकार: दोनों चोटें गंभीर प्रकृति की थीं।

6.iii. उसी दिन डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने मो० सहवाज (उम्र लगभग 50 वर्ष) का भी चिकित्सीय परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

i. बाएँ हाथ की बाँह, कोहनी एवं बाँह के निचले भाग और पर चोटें — प्रभावित भाग में सूजन थी। एक्स-रे में बाएँ की ऊपरी हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। सूजन का आकार 10 सेमी x 8 सेमी x 0 सेमी था।

ii. दाहिनी बाँह पर चोट — जिसमें कोई फ्रैक्चर नहीं पाया गया। सूजन का आकार 7 सेमी x 5 सेमी x 0 सेमी था।

मत: उपरोक्त दोनों चोटें किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से लगी थीं।

चोटों की आयु: 12 घंटे के भीतर की थीं।

चोटों का प्रकार: पहली चोट गंभीर प्रकृति की थी जबकि दूसरी चोट साधारण प्रकृति की थी।

6.iv. उसी दिन इस गवाह (डॉ. ओम प्रकाश सिंह) ने मो० हबीब उम्र लगभग 45 वर्ष का भी चिकित्सीय परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:

i. दाहिने कंधे के जोड़ पर चोट — प्रभावित भाग में सूजन थी। एक्स-रे में किसी प्रकार की हड्डी की चोट नहीं पाई गई। सूजन का आकार 10 सेमी x 6 सेमी x 0 सेमी था।

ii. बाएँ कोहनी के जोड़ पर चोट — एक्स-रे के अनुसार कोई हड्डी की चोट नहीं थी। सूजन का आकार 9 सेमी x 6 सेमी x 0 सेमी था।

iii. पीठ पर चोट — सूजन का आकार 10 सेमी x 3 सेमी x 0 सेमी था।

मतः उपरोक्त सभी चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु से लगी थीं।

चोटों की आयुः ये सभी चोटें 12 घंटे के भीतर की थीं।

इस गवाह ने उपरोक्त सभी चोट संबंधी रिपोर्टों को प्रमाणित किया है, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श 1, 1/I, 1/II, 1/III एवं 1/IV के रूप में चिह्नित किया गया। अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने मात्र यह कहा कि सभी घायलों की चोटें किसी कठोर वस्तु पर गिरने के कारण हो सकती हैं।

7. अभियोजन साक्षी- 2 तनवीर आलम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि कथित घटना दिनांक 29.04.2008 की रात लगभग 11 बजे उस समय हुई जब वह अपने परवल के खेत में थे। उसी दौरान लगभग 15 से 16 अभियुक्त वहाँ आए और रंगदारी की मांग करने लगे। उनमें से उन्होंने अजय यादव, राहुल, माजिद, मन्नू यादव, दिलीप यादव, रामू यादव, जनमत यादव, रामबृक्ष यादव और फेकन यादव को पहचान लिया। अभियोजन साक्षी -2 के अनुसार, अभियुक्तों ने आकर सूचक को लाठी से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सबाना, हफीक, ताहिर और काशिम सूचक को बचाने आए, तो अभियुक्तों ने उन्हें भी पीटा। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों का इलाज अगले दिन कराया गया।

8. अभियोजन साक्षी -3 मो० अब्दुल कासिम ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि कथित घटना के समय वह अपने खेत में थे। शोरगुल (हल्ला) सुनकर वह घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने लेडन, जलवा, मंटू सहित लगभग 10 लोगों को देखा। उन्होंने कहा कि अभियोजन साक्षी-4 फारूक और अभियोजन साक्षी -4 तनवीर को लाठी, पिस्टल और चाकू से मारा जा रहा था। उन्हें भी मारा गया, जिससे वे बेहोश हो गए और उनका हाथ टूट गया। उनके अनुसार, ग्रामीणों ने उन्हें थाने पहुँचाया और उनका इलाज के.एम.सी.एच. में हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि घटना वाली रात अंधेरी थी और दृश्यता बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे शरीर पर चोटें आई थीं।

9. अभियोजन साक्षी -4 मो० फारूक, जो कि इस मामले के सूचक हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि कथित घटना की तिथि और समय पर जब वह अपने परवल के खेत में थे, तब 15-16 अभियुक्त वहाँ आए। इनमें अजय यादव, राहुल यादव, नवीन यादव, रामबृक्ष यादव, मंटू यादव, रितेश यादव, दिलीप यादव और लेडन यादव शामिल थे। उन्होंने आकर उनसे दियारा की ज़मीन छोड़ने को कहा और ₹50,000/- की रंगदारी मांगी। इस पर सूचक ने जवाब दिया कि वह एक गरीब व्यक्ति हैं, और इतनी बड़ी रकम वह कैसे दे सकते हैं। इसके बाद अभियुक्तों ने उन्हें लाठी आदि से मारना शुरू कर दिया और उनका बायाँ हाथ तोड़ दिया। अभियुक्त उन्हें जान से मार देना चाहते थे। शोर सुनकर काशिम, सबाना और अन्य लोग वहाँ पहुँचे। काशिम, तनवरी, सबाना और शफीक को भी मारा-पीटा गया। उन्होंने इस घटना की लिखित सूचना थाना में दी थी। अपनी गवाही में उन्होंने बताया कि परवल का खेत उनके दादा के नाम पर

है, जिनकी मृत्यु लगभग 20 वर्ष पहले हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना वाली रात पूर्णिमा की रात (चाँदनी रात) थी। उनके अनुसार उन्होंने के.एम.सी.एच. में इलाज कराया और वहाँ एक माह तक भर्ती रहे।

10. अभियोजन साक्षी -5 अधीन यादव इस मामले के अनुसंधान अधिकारी हैं और उन्होंने अभियोजन के पक्ष का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने घटना स्थल का सत्यापन किया है।

11. अभियोजन साक्षी -6 मो० तसामुद्दीन ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 29.04.2008 को वह भी परवल के खेत में थे। फारूक और तनवीर भी उसी खेत में थे। इसी दौरान अजय यादव, राहुल यादव, नवीन यादव, रामबृकन यादव, मंटू यादव, दिलीप यादव, राकेश यादव और निर्धन यादव वहाँ आए और रुपयों की मांग करने लगे। इस पर फारूक ने उन्हें बताया कि वह गरीब आदमी है और वह पैसे कहाँ से देगा। इस उत्तर पर अभियुक्तों ने फारूक को मारना शुरू कर दिया। इस गवाह के अनुसार अजय यादव के हाथ में बंदूक थी जबकि बाकी अभियुक्तों के हाथ में लाठियाँ थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका खेत फारूक के खेत से लगभग 200 हाथ की दूरी पर स्थित है। साथ ही उन्होंने यह भी पुष्टि की कि घटना की रात चाँदनी रात थी।

12. अभियोजन साक्षी -7 मो० सबाना ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि कथित घटना की तिथि को रात लगभग 11 बजे वह अपने परवल के खेत की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फारूक और तनवीर के शोर मचाने पर वह घटना स्थल पर पहुँचे और देखा कि राकेश, लेडन, नवीन, अजय, मंटू आदि फारूक और तनवीर को पीट रहे थे। उन्होंने

यह भी कहा कि अभियुक्तों ने उन्हें भी मारा। अगले दिन ग्रामीणों ने उन्हें सदर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका दो दिन तक इलाज चला। उसके बाद उन्हें के.एम.सी.एच. रेफर किया गया, जहाँ वे 16 दिनों तक भर्ती रहे।

13. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद, अभियुक्तों का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया, जिसमें अभियोजन साक्ष्य में आये आपत्तिजनक तथ्यों से उन्हें अवगत कराया गया, ताकि उन्हें उन तथ्यों पर स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके। इस परीक्षण के दौरान अभियुक्तों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही सुनी है, लेकिन उन्होंने किसी भी तथ्य का स्पष्ट खंडन या स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि अभियोजन की गवाही झूठी है, वे निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है।

14. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश विधि और तथ्य दोनों के दृष्टिकोण से टिकाऊ नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक मनोयोग का उचित प्रयोग किए बिना ही दोषसिद्धि का निर्णय और सजा के आदेश को गलत तरीके से पारित किया है, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी -1 के बयान से यह साफ़ है कि चोटें कठोर और कुंद वस्तु से हुई थीं और अधिकांश चोटें साधारण प्रकृति की थीं। यह कहा जा सकता है कि कोई भी चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर नहीं थी, बल्कि चोटें बाहों, अग्रबाहु, कोहनी, अल्ना, कंधे और हाथ पर थीं, और कहीं भी हड्डी की चोट नहीं पाई गई। अभियोजन साक्षी -2 ने अपने बयान में

कहा कि अपीलार्थियों ने उसे तथा अन्य घायलों को लाठी से मारा। वहीं अभियोजन साक्षी -3 ने अपने बयान में कहा कि घटना की रात अंधेरा था और दृश्यता कम थी, जबकि अभियोजन साक्षी -4 ने कहा कि घटना की रात चांदनी रात थी, जो कि अभियोजन साक्षी -3 के बयान से स्पष्ट विरोधाभास में है। अभियोजन साक्षी -4 के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि हमले में लाठी का प्रयोग किया गया था।

14.i विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अभियुक्तों द्वारा किसी भी प्रकार के उन्नत या घातक हथियार का प्रयोग नहीं किया गया और सभी चोटें कठोर एवं कुंद वस्तु के कारण हुई थीं। विद्वान विचारण अदालत इस तथ्य की उचित सराहना करने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने विचारण के दौरान अपने-अपने बयानों में सुधार किया है तथा उनकी गवाही परस्पर असंगत और विरोधाभासी है। अभियोजन साक्षी -2 तनवीर, जिन्हें अभियुक्तों द्वारा चोट पहुँचाई गई थी, ने पुलिस के समक्ष केवल अजय यादव को आवाज़ से पहचानने का दावा किया था, किंतु विचारण के दौरान अपने बयान में सुधार करते हुए अन्य अभियुक्तों के नाम लिए। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी -3 मो० क़ाशिम, जो एक घायल गवाह हैं, ने भी केवल अजय यादव को आवाज़ से पहचानने की बात कही और शेष अभियुक्तों के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने उन्हें पहचान नहीं पाया।

14. ii विद्वान विचारण न्यायालय साक्ष्यों की यथोचित दृष्टिकोण से समीक्षा करने में असफल रहा है और प्रश्नगत दोषसिद्धि का निर्णय न तो विधि की दृष्टि से और न ही तथ्यों की दृष्टि से न्यायसंगत है, अतः इसे

निरस्त कर दिया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि यह अपील वर्ष 2013 की है और घटना वर्ष 2008 की है, जहां अपीलकर्ताओं को इसके कारण लगातार पीड़ा हुई है और वे पिछले 16-17 वर्षों से बचाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, अपीलार्थियों को दोषसिद्धि से बरी किया जाना चाहिए या फिर जो समय वे पहले ही कारावास में बिता चुके हैं, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।

15. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इन अपीलों का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 323, 325, 307 और 504 के तहत अपराध करने का सीधा आरोप है। इसके अलावा यह कथन किया जाता है कि उपरोक्त बयानों और अभिलेख पर साक्ष्य को देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सही तरीके से दोषी ठहराया है इसलिय वर्तमान अपीलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

17. इस चरण पर, मैं विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के प्रासंगिक उद्धरण की सराहना करना चाहूंगा।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***राज्य बनाम सलीम (2005) 5 एस. सी. सी. 554*** मामले में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि क्या मृत्यु कारित करने का इरादा था या यह ज्ञान था कि मृत्यु हो जाएगी, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है और यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। न्यायालय के फैसले का संबंधित अंश इस प्रकार है:-

"16. चाहे हत्या करने का इरादा था या यह ज्ञान था कि मृतु हो जाएगी, यह एक तथ्यात्मक प्रश्न है और यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा की गई चोट सामान्य या मामूली थी, स्वयं में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के लागू होने को खारिज नहीं कर सकता। जैसा भी मामला हो निर्णायक प्रश्न यह है कि इरादा या ज्ञान क्या था, न कि चोट की प्रकृति..."

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***जागे राम बनाम हरियाणा राज्य*** के मामले में जिसे ***(2015) 11 एस. सी. सी. 366*** में रिपोर्ट किया गया है निर्णय के पैराग्राफ 12 और 13 जो इस प्रकार हैं:-

12. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि i. हत्या करने का इरादा; और ii. अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य। यह भार अभियोजन पक्ष पर है कि अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के गवाह की हत्या का प्रयास किया था। क्या अभियुक्त व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का इरादा था, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि कोई घातक चोट लगी हो जो मृत्यु का कारण बनने में सक्षम हो। यद्यपि वास्तव में कारित की हुई चोट की प्रकृति अभियुक्त के इरादे के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता कर सकती है, लेकिन इस तरह के इरादे को

अन्य परिस्थितियों से भी जोड़ा जा सकता है। ***अभियुक्त का इरादा उन परिस्थितियों से समझा जाता है, जैसे उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, घटना के समय अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए शब्द, अभियुक्त का उद्देश्य, शरीर के उन हिस्सों से जहां चोट लगी थी और चोट की प्रकृति और दिए गए प्रहारों की गंभीरता आदि जैसी परिस्थितियों से।***

13. ***म० प्र० राज्य बनाम काशीराम [म० प्र० राज्य बनाम काशीराम, (2009) 4 एससीसी 26: (2009) 2 एससीसी (सीआरआई) 40: एआईआर 2009 एससी 1642]*** *मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि आकर्षित करने के इरादे का दायरा विस्तृत किया गया था और इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः (एस. सी. सी. पृष्ठ. 29-30, पैरा 12-13)*

"12...13. धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह पर्याप्त है यदि उसके निष्पादन में किसी स्पष्ट कार्य के साथ कोई इरादा मौजूद है। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने में सक्षम कोई शारीरिक चोट कारित की गयी हो। यह धारा अभियुक्त के कार्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के बीच अंतर करती है। न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या कार्य, इसके परिणाम की परवाह किए बिना, इरादे या ज्ञान के साथ और धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में किया गया था। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोपित

एक आरोपी को केवल इसलिए बरी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीड़ित को लगी चोटें साधारण चोट की प्रकृति की थीं।.

20. सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन और परीक्षण करने पर यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि कथित अपराध में कोई उन्नत या घातक हथियार का प्रयोग नहीं किया गया है और पीड़ितों को जो भी चोटें पहुंची हैं, वे कठोर एवं कुंद वस्तु से पहुंचाई गई हैं। अभियोजन साक्षी -3, 4, 6 और 7 ने अपने बयान में अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की पहचान करते हुए कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता आए और ₹50,000 की फिरौती की मांग की, और जब उसे देने से इंकार किया गया, तो अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने सूचक और अन्य व्यक्तियों को लाठी से कई बार प्रहार किया, जिसकी पुष्टि चिकित्सा पदाधिकारी अभियोजन साक्षी 1 द्वारा परीक्षण किए गए चोट के प्रतिवेदन से होती है। हालाँकि, चोट की प्रकृति इस बात का पता लगाने में सहायक हो सकती है कि अभियुक्त का इरादा क्या था, लेकिन ऐसा इरादा अन्य परिस्थितियों से भी स्थापित किया जा सकता है। अभियुक्त का इरादा उन परिस्थितियों से समझा जाता है, जैसे कि प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, घटना के समय अभियुक्त द्वारा बोले गए शब्द, अभियुक्त का उद्देश्य, जिस भाग में चोट आई, चोट की प्रकृति और दी गई मारपीट की गंभीरता आदि।

21. अभियोजन साक्षी-1 के बयान से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चोटें कठोर और कुंद वस्तु से आई हैं और अधिकांश चोटें साधारण प्रकृति की थीं। यह कहा जा सकता है कि कोई भी चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर नहीं थी, और चोटें हाथ, कलाई, कोहनी, ऊल्ना, कंधे और हाथ पर थीं, साथ ही कोई हड्डी की चोट भी नहीं थी। अभियोजन

साक्षी 2 ने अपने बयान में कहा कि अपीलकर्ताओं ने उन पर और अन्य घायल व्यक्तियों पर लाठी से हमला किया। अभियोजन साक्षी -4 ने कहा कि कथित घटना की रात चाँदनी रात थी और ऐसा प्रतीत होता है कि घटना के समय प्रकाश का पर्याप्त स्रोत था। अभियोजन साक्षी 4 के बयान से यह स्पष्ट है कि लाठी का उपयोग कथित हमले के लिए किया गया था क्रमशः लाठी और डंडे के माध्यम से चोट पहुँचाने के लिए किया गया था, इसलिए अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध साबित नहीं हुआ है और अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप कानून के अनुसार गठित नहीं किए गए है। इसलिए, विद्वान अपर सत्र न्यायालय, कटिहार द्वारा सत्र विचारण संख्या 415/2010, जो कि बाराई थाना कांड संख्या 48/2008 से संबंधित है, में 12.03.2013 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 14.03.2013, को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोपों से बरी किया जाता है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 323, 325 और 504 के तहत आरोपों को सही और कायम रखा जाता है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ***उत्तर प्रदेश राज्य बनाम त्रिभुवन, (2018) 1 एस. सी. सी. 90*** के मामले में ने निर्धारित किया है कि, एक दोषी व्यक्ति द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताया गया समय, चाहे वह विचाराधीन आरोपि के रूप में हो या दोषी व्यक्ति के रूप में, उसे उसकी सजा के रूप में माना जा सकता है और उसे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजन का लाभ मिल सकता है।

23. अतः अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्री तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए यह अवलोकन किया जाता है कि अपीलकर्ता लगभग 5 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं, और दिनांक 12.03.2013 को पारित दोषसिद्धि का निर्णय तथा दिनांक 14.03.2013 को पारित दंडादेश, जो कि सत्र वाद संख्या 415/2010 (बारारी थाना कांड संख्या 48/2008) में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, कटिहार द्वारा पारित किया गया था, को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अपीलकर्ताओं ने पर्याप्त अवधि की न्यायिक हिरासत भोग ली है। अपीलकर्ताओं के आचरण के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है, अन्यथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा वह हमारे संज्ञान में लाई जाती। अतः अपीलकर्ताओं की सजा को उनके द्वारा बिताई गई हिरासत की अवधि तक सीमित कर दिया जाता है, और अपीलकर्ता अपने जमानत बांध पत्र, यदि कोई हो, की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

24. तदनुसार, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकृति की जाती है।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

ब्रजेश कुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।